पत्र संख्या उ0नि0–41/2011...219.../रा0

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

(उर्दू निदेशालय)

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

पटना, दिनांक 8.7.13

विषय :– उर्दू निदेशालय के उर्दू अनुवादकों, सहायक उर्दू अनुवादकों, टंककों (उर्दू/हिन्दी) एवं कार्यालय परिचारियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करने और सेवा सम्पुष्ट करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक– 365/रा० दिनांक 27.10.2011.

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि उर्दू निदेशालय के ऐसे उक्त विषयगत उर्दू कर्मियों को जिन्हें किसी कारणवश अबतक ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत नहीं किया जा सका है, इस माह में उनके मामले को विचारार्थ केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

ऐसे उर्दू कर्मी जिनकी सेवा किसी कारणवश अबतक सम्पुष्ट नहीं की जा सकी है, उनकी सेवा सम्पुष्टि पर भी इसी माह विचार किया जाना है।

ध्यातव्य है कि उर्दू कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एक रिट याचिका की सुनवाई भी चल रही है।

उर्दू कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करने हेतु सम्बद्ध कर्मी का आवश्यक अभिलेख यथा अद्यतन सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति, देय तिथि से पूर्व पाँच वर्षों/लगातार तीन वर्षों की चारित्री एवं विहित प्रपत्र में नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार जिन उर्दू कर्मियों की अबतक सेवा सम्पुष्टि नहीं की जा सकी है, उनकी सेवा सम्पुष्टि हेतु देय तिथि से पूर्व पाँच वर्षों/लगातार तीन वर्षों की चारित्री एवं विहित प्रपत्र में नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा की आवश्यकता होगी।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी अधीनस्थ नियंत्री पदाधिकारियों यथा जिला उर्दू कोषांग प्रभारी/अनुमंडलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को स्पष्ट निदेश देने का कृपया कष्ट करेंगे कि वे दिनांक 09.7.2013 तक उर्दू निदेशालय को वांछित अभिलेख निश्चित रूप से विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सचिव

8/7/13

beya uni 41@2011—@ra 04-07-2013.doc